1. बिन्दु संख्या 06:– राशन डिपो संचालक द्वारा उचित मूल्य राशन के वितरण का इन्द्राज एक रजिस्टर में संधारित किया जाना आवश्यक नही है।
2. बिन्दु संख्सा 08:– रसद विभाग द्वारा प्रदर्शित ईओएन एनएफएस ए 099086 आई.डी. अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका सादुलशहर की है।

उक्त आप द्वारा चाही गई बिन्दु संख्या 01 से 05 व 07 की समस्त सूचनाएं प्रश्नात्मक है। जंहा तक प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचनाए उपलब्ध करवाये जाने का प्रश्न है राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 च मे सूचना से तात्पर्य किसी भी स्वरूप में कोई भी सामग्री इसमें किसी भी इलेक्ट्रोनिकस रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ई–मेल, मत, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश लॉग बुक, संविदा, रिपोर्ट, कागजपत्र, नमूने, मॉडल, आंकडो संबधी सामग्री शामिल है। प्रशासनिम सुधार विभाग के परिपत्र प.22 (16)प्रसू/सूअप्र/2010 जयपुर दिनांक 16.12.2011 में यह स्पष्ट किया गया है कि सूचना में क्यो प्रश्न के उत्तर सम्मिलित नही है कि सूचना की परिभाषा अपने दायरे में क्यों वाले प्रश्नों के उत्तर शामिल नही कर सकती। लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओ का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों के उत्तर देना अपेक्षित नही है। सूचना का सृजन करना अधिनियम के कार्यक्षेत्र से बाहर है।

चाही गई सूचना प्रश्नोतर के रूप में नही होनी चाहिए चूकिं खोजकर खोजे गये तथ्यों के आधार पर नई सूचना बनाकर दिया जाना सूचना का अधिकार के तहत नही आता। सूचनाएं एकत्रित कर उपलब्ध करवाना ऐसा कार्य है जो कार्यालय के संसाधनो को अनुपातिक रूप से विचलित करता है। अतः धारा 7(9) के तहत इसका वर्जन किया गया है।

इस संबध में आपको कोई उज्र हो तो आप 30 दिवस की अवधि में प्रथम अपील अधिकारी श्रीमान जिला कलक्टर महोदय को अपील कर सकते है।

अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनांओ के संबंध में जिला रसद अधिकारी द्वारा दिये गये उक्त उत्तर अनुसार बिन्दु संव 6 व 8 की सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी है। बिन्दु सं0 1 से 5 व 7 की सूचना प्रश्नात्मक होने से उपलब्ध नही करवाई है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारां 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त ''सूचना'' का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इस प्रकार जिला रसद अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को दिया गया उत्तर दिनांक 12.07.17 सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर का पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 29.09.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलेक्टर

अपील सूचना अधिकार संख्या 54 ए/2017 अनवानी कृष्णलाल पुत्र श्री रामेश्वर लाल जाति मेघवाल निवासी वार्ड न0 16, सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर बनाम जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर

29–09–2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री कृष्ण लाल उपस्थित नही है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री कृष्णलाल ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 24.06.2017 के द्वारा जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर से निम्न सूचनांए चाही थीः–

1. ए.पी.एल राशन कार्ड कमांक 200003309480 धारक कृष्णलाल पुत्र रामेश्वन लाल वार्ड न0 16 सादुलशहर के साथ किसी व्यक्ति का आधार न0 5467–7653–1967 है, जो कि गौरी रानी पत्नि गगनदीप सोनी वार्ड न0 17, सादुलशहर का है, उक्त आधार न0 उक्त राशन कार्ड के साथ किस द्वारा जोडा गया है? कृपया प्रमाणित सूचना प्रदान करे।
2. उक्त ए.पी.एल. राशन कार्ड में जुडे उक्त आधार न0 के साथ किसका मोबाइल न0 जुडा हुआ/लिंक किया हुआ हैं कृपया प्रमाणित सूचना प्रदान करे।
3. उक्त ए.पी.एल राशन कार्ड पर राशन बायोमैट्रिक तरीके अर्थात अंगूठा पॉस मशनी पर लगवा कर उठवाया जा रहा है अथवा ओटीपी कोड मोबाइल पर देकर राशन उठवाया जा रहा है ? कृपया प्रमाणित सूचना प्रदान करे।
4. यदि उक्त ए.पी.एल. राशन कार्ड पर राशन बायोमैट्रिक अंगूठा लगवा कर दिया जा रहा है? तो उक्त राशन कार्ड तथा यदि राशन ओटीपी कोड द्वारा दिया जा रहा है तो ओटीपी किस मोबाईल न. की प्रमाणित सूचना प्रदान करे।
5. राज्य सरकार के दिशानिर्देशो के अनुसार किसी राशन डिपो संचालक द्वारा उचित मूल्य का राशन वितरण करते समय क्या राशन कार्ड में राशन दिये जाने का इन्द्राज करना आवश्यक है अथवा नही? प्रमाणित सूचना दे।
6. राज्य सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार किसी राशन डिपो संचालक द्वारा उचित मूल्य का राशन का वितरण करते समय क्या सम्बधित राशन के वितरण का इन्द्राज एक रजिस्टर में संधारित किया जाना आवश्यक है? अथवा नही? इस बाबत खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी आदेश परिपत्र, दिशा–निर्देशो आदि की प्रमाणित प्रतियां प्रदान करे।
7. क्या किसी अन्य राशन कार्ड कंमाक के साथ राशन कार्ड में उल्लेखित नामों के इलावा किसी दूसरे व्यक्ति का आधार नम्बर जोड कर पॉस मशीन से राशन उठाया जा सकता है? क्या यह सम्भव है कि किसी के राशन कार्ड के साथी किसी का आधार नम्बर जोडकर राशन उठा लिया जावे? कृपया प्रमाणित सूचना प्रदान करे।
8. रसद विभाग द्वारा प्रदर्शित ई.ओ.एन. एन.एफ.एस.ए. 099086 आई डी किस सक्षम अधिकारी की है? प्रमाणित सूचना प्रदान करे।

अपीलार्थी ने यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर के विरूद्ध इस आधार पर प्रस्तुत की गयी है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 24.06.17 के द्वारा चाही गई 8 बिन्दुओ की सूचना के संबंध पत्र सं0 5248 दिनांक 12.07.17 जो सूचना उपलब्ध करवाई गई है उसमें उपलब्ध करवाई गई बिन्दु सं0 6 व 8 की सूचना उपलब्ध करवाई है जिसमें बिन्दु सं0 6 की की सूचना बाबत कोई प्रमाणित दस्तावेज उपलब्ध नही करवाये गये व बिन्दु सं0 1 से 5 व 7 की समस्त सूचनांए प्रश्नात्मक बताकर सूचना उपलब्ध नही करवाई गई है। जो उसे निशुल्क दिलाये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

अपीलार्थी के अपीलपत्र पर जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपना प्रतिवेदन सं0 7360 दिनांक 11.09.17 प्रस्तुत किया है कि बिन्दु सं0 1 से 5 व 7 की चाही गई समस्त सूचनांए प्रश्नात्मक थी जो राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2''च'' के तहत उपलब्ध नही करवाई गई है व बिन्दु सं0 6 की सूचना के संबंध राशन डिपो संचालक द्वारा उचित मूल्य राशन के वितरण का इन्द्राज एक रजिस्टर में संधारित किया जाना आवश्यक नही है व बिन्दु सं0 8 की सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी है। इस संबंध में जिला रसद अधिकारी ने अपने पत्र सं0 5248 दिनांक 12.07.17 से अपीलार्थी को निम्नानुसार सूचना उपलब्ध करवाई गई हैः–

Web Copy - Not Official